



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230479
CG-DL-E-18102021-230479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3937]
No. 3937]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4286(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के अनगुल जिले में NH49 के कि.मी. 414.982 से कि.मी. 427.35 (ऑफिस ऑफ़ दी तहसीलदार, पललाहड़ा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ 2855 तारीख 16.07.2021 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01.08.2021 " को "संबाद" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के अनगुल जिले में NH49 के कि.मी. 414.982 से कि.मी. 427.35 (ऑफिस ऑफ़ दी तहसीलदार, पललाहड़ा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: अनगुल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पाललहड़ा				
	गांव का नाम: पाललहड़ा				
1	103	निजी	सारडी II	0.0040469	श्यामसुंदर आचार्य, पिता- दमवरूधार, जाती-ब्रामिन ()
2	119/3444	निजी	घर बारी	0.0060704	इन्द्रमणि पृष्टि, सान्ताष पृष्टि, बसन्त कुमार पृष्टि, श्वेत पृष्टि, पिता- केयलष पृष्टि, जाती-टेली ()
3	1618	निजी	सरद III	0.0080939	नित्यानंद सेठी, कालंदी सेठी, ललित सेठी, पुत्र दित्तिआ सेठी; नरहरि सेठी, किशोरी सेठी, चिंतामणि सेठी , गणेश्वर सेठी, पुत्र गौरा सेठी, जाती-धोबा ()
4	1618/3850	निजी	सरद III	0.0222582	साबित्री माझी, पती- रामेश्वर माझी, जाती-संताल ()
5	1619/3948/4343	निजी	शारद III	0.0080939	प्रशांत कुमार बहेरा, पिता-बानंबर बहेरा, जाती-कैबर्त्य

					()
6	1845/3140	निजी	घर बारी	0.0161878	बसंत कुमार प्रधान, पुत्र -श्री सुधाकर प्रधान, जाती -चसा ()
7	2488/3011/4100	निजी	तैला II	0.0121408	उग्रसेन नेयक, पिता-खागेश्वर नेयक, जाती-पेन ()
8	730	निजी	बाजे फसली II	0.0283286	श्री श्यामेश्वर महादेव परिचालक डिबोटर पाललहरा ()
9	735	निजी	पतित	0.0161878	सच्चिदानंद मुनिपाल, मृत्युंजय मुनिपाल, नारायान प्रेसड मुनिपाल, पिता- शरत चेन्द्रा मुनिपाल, मणिक प्रभा मुनिपाल, पति-शरत चेन्द्रा मुनिपाल, जाती- क्षेत्रिय ()
10	736	निजी	बगायत II	0.0283286	दुखबंधु पाल, पिता-दयानिधि पाल, जाती-क्षेत्रिय ()
11	737	निजी	घरबारी	0.0202347	सच्चिदानंद मुनिपाल, मृत्युंजय मुनिपाल, नारायान प्रेसड मुनिपाल, पिता- शरत चेन्द्रा मुनिपाल, मणिक प्रभा मुनिपाल, पति-शरत चेन्द्रा मुनिपाल, जाती- क्षेत्रिय ()
12	737/3465	निजी	घर बारी	0.0040469	कृष्ण चेन्द्रा देहरी, पिता- डोलगोबिन्द देहरी, जाती-माली ()
13	92	निजी	तैला II	0.0080939	श्री श्यामेश्वर महादेव परिचालक डिबोटर पलहर ()
14	94/3978	निजी	घर बारी	0.0080939	दिल्लीप कुमार साहू, पिता- इन्द्रमणि साहू, जाती-टेली ()

15	99	निजी	तैला I	0.0323756	श्यामसुंदर आचार्य, पिता- दम्बरूधर, जाती-ब्रामिन ()
			कुल	0.2225819	

[फा. सं. 1077/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4286(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH49 on the stretch of land from Km. 414.982 to Km. 427.35 (Office of The Tahasildar, Pallahada) in the district of Angul in the state of ODISHA ;

And whereas the substance of the said notification S.O. No. 2855 dated 16.07.2021 has been published in “Sambad” and “The Times of India” both dated 01.08.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH49 in the stretch of land from Km. 414.982 to Km. 427.35 (Office of The Tahasildar, Pallahada) in the district of Angul in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: Angul			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pallahada				
	Village: Pallahada				
1	103	Private	Sarad II	0.0040469	Shyamsundar Acharya, S/o- Dambarudhar, Caste-Brahmin
2	119/3444	Private	Ghara Bari	0.0060704	Indramani Prusty, Santosh Prusty, Basanta Kumar Prusty, Sweta Prusty, S/o- Kailash Prusty, Caste-Teli

3	1618	Private	Sarad III	0.0080939	Nityananda Sethi, Kalandi Sethi, Lalita Sethi, S/o- Ditia Sethi; Narahari Sethi, Kishori Sethi, Chintamani Sethi, Ganeswar sethi S/o- Goura Sethi, Caste-Dhoba
4	1618/3850	Private	Sarad III	0.0222582	Sabitri Majhi, W/o- Rameswar Majhi, Caste-Santal
5	1619/3948/4343	Private	Sarad III	0.0080939	Prasanta Kumar Behera, S/o-Banambar Behera, Caste-Kaibartya
6	1845/3140	Private	Ghara Bari	0.0161878	Basant Kumar Pradhan, S/o-Sudhakar Pradhan, Caste-Chasa
7	2488/3011/4100	Private	Taila II	0.0121408	Ugrasen Naik, S/o-Khageswar Naik, Caste-Pan
8	730	Private	Baje Fasal II	0.0283286	Sri Shyameswar Mahadev Parichalak Debottar Pallahara
9	735	Private	Patit	0.0161878	Sachidananda Munipal, Mrutyunjaya Munipal, Narayan Prasad Munipal, S/o- Sarat Chandra Munipal, Manika Prabha Munipal, W/o-Sarat Chandra Munipal, Caste- Khetriya
10	736	Private	Bagayat II	0.0283286	Dukhabandhu Pal, S/o-Dayanidhi Pal, Caste-Khetriya
11	737	Private	Gharabari	0.0202347	Sachidananda Munipal, Mrutyunjaya Munipal, Narayan Prasad Munipal, S/o- Sarat Chandra Munipal, Manika Prabha Munipal, W/o-Sarat Chandra Munipal, Caste- Khetriya
12	737/3465	Private	Gharabari	0.0040469	Krushna Chandra Dehury, S/o- Dolagobinda Dehury, Caste-Mali
13	92	Private	Taila II	0.0080939	Sri Shyameswar Mahadev Parichalak Debottar Pallahara
14	94/3978	Private	Ghara Bari	0.0080939	Dillip Kumar Sahu, S/o- Indramani Sahu, Caste-Teli
15	99	Private	Taila I	0.0323756	Shyamsundar Acharya, S/o- Dambarudhar, Caste-Brahmin
			TOTAL	0.2225819	

[F. No. 1077/3D]

RAJESH GUPTA, Director